

जलवायु परिवर्तन और कृषि पर इस प्रभाव

प्रस्तावना: जलवायु परिवर्तन तथा उसकी अस्थिरता मानव की चिंता के विशय हैं। बार-बार पड़ने वाले सूखे तथा तथा आने वाली बाढ़ें उन लाखों लोगों की आजीविकाओं पर अत्यधिक गंभीर प्रभाव डालती हैं, जो अपनी अधिकांश आवश्यकताओं के लिए भूमि पर निर्भर रहते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था सूखे और बाढ़, शीत और उष्ण लहरों, जंगल में लगने वाली आग, भूस्खलन आदि जैसी भयावह घटनाओं के परिणामस्वरूप बार-बार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक आपदाएं हालांकि मौसम-संबंधी आपदाओं से जुड़ी हुई नहीं हैं, फिर भी ये पर्यावरण की रासायनिक संरचना को परिवर्तित कर देती हैं। इसके परिणामस्वरूप, मौसम-संबंधी आपदाएं उत्पन्न होती हैं। जीवाष्प ईंधनों, के जलने से उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरो-फ्लूरोकार्बन्स सीएफएस, हाइड्रो क्लोरोफ्लूरो कार्बन्स (एचसीएफसी), हाइड्रोफ्लूरोकार्बन्स (एचएफसी), परफ्लूरोकार्बन्स (पीएफसी), आदि जैसी ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण वायुमण्डल में एरोसोल्स (वायुमण्डलीय प्रदूशक) में वृद्धि, ओजोन क्षरण और यूवी-बी निस्स्यंदक विकिरण, ज्वालामुखियों का फटना, जंगल की आग के रूप में गैर-वनीकरण में प्मानव का हाथ तथा आर्द्रभूमियों की हानि, जलवायु में भारी परिवर्तन होने के आम कारक हैं। वन-क्षेत्रों की हानि, जो प्रायः वर्षा जल को रोकते हैं और इसे मृदा द्वारा अवशोषित किए जाने की प्रक्रिया को सुगम बनाते हैं, ऐसा अवक्षेपण उत्पन्न करती है जो समस्त भूमि पर व्याप्त हो जाता है तथा ऊपरी मृदा को नष्ट कर देता है, जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ और सूखा पड़ता है। विरोधाभासस्वरूप, वृक्षों का अभाव मृदा को अतिषीघ्र षुष्क बनाकर षुष्क वर्षों में सूखे की स्थिति उत्पन्न करते हैं। ग्रीनहाउस गैसों में से, CO_2 एक प्रधान गैस है जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक तापन उत्पन्न होता है क्योंकि यह दीर्घ तरंग वाले विकिरण को रोकती है और उसे वापस पृथ्वी की सतह को उत्सर्जित कर देती है। वैश्विक तापन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण सतही वायुमण्डल का उष्मण है, जिसके कारण एक दीर्घकालिक अवधि में वायुमण्डलीय तापमान में वृद्धि होती है। सतही वायु के तापमान में ऐसे परिवर्तन तथा उसके फलस्वरूप एक दीर्घ समयावधि में

वर्षा पर उसके प्रतिकूल प्रभाव को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। यदि ये मापदण्ड वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन अथवा चक्रीय रुझान दर्शाते हैं, तो इन्हें जलवायु अस्थिरता कहा जाता है।

तथापि, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) द्वारा दी गई अधिकारिक परिभाषा यह है कि जलवायु परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जो मानव के उस क्रियाकलाप द्वारा प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः उत्पन्न होता है जो वैश्विक वायुमंडल की संरचना को परिवर्तित करता है तथा जो किसी तुलनात्मक समयावधि में देखी गई स्वाभाविक जलवायु अस्थिरता के अतिरिक्त है। तथापि, वैज्ञानिक जलवायु में किसी भी परिवर्तन के लिए इस शब्द का प्रायः उपयोग करते हैं, चाहे वह प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता हो अथवा मानव द्वारा कारित हो। विशेष रूप से, जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतरसरकारी पैनल (आईपीसीसी) ने जलवायु परिवर्तन को जलवायु की अवस्था में एक ऐसे परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया है जिसे इसकी विशेषताओं के माध्य और/अथवा अस्थिरता में परिवर्तनों द्वारा पहचाना जा सकता है तथा जो एक विस्तारित अवधि, विषिष्टतः एक दशक अथवा उससे अधिक, के लिए बना रहता है।

मौसम और जलवायु: मौसम किसी विशेष समय और स्थान पर मौसमविज्ञान-संबंधी परिस्थितियों जैसे हवा, वर्षा, हिम, सूर्य की रोशनी, तापमान आदि का एक सेट है। तुलनात्मक रूप से, मौसम शब्द किसी एक स्थान पर अनुभव की गई मौसम की समग्र दीर्घकालिक विशेषताओं का वर्णन करता है। किसी क्षेत्र की पारिस्थिकियां, कृषि, आजीविकाएं और बस्तियां इसकी जलवायु पर अत्यधिक निर्भर होती हैं। अतः जलवायु को औसत परिस्थितियों तथा साथ ही इन परिस्थितियों की अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए मौसम की स्थितियों का दीर्घकालिक सार माना जा सकता है। वर्ष-दर-वर्ष उत्पन्न होने वाले उतार-चढ़ाव तथा उग्र परिस्थितियों जैसे प्रचण्ड तूफान अथवा असामान्य गर्म मौसम के आंकड़े जलवायु की अस्थिरता के भाग हैं।

पृथ्वी की जलवायु में पिछले काफी समय से पर्याप्त बदलाव आया है जैसाकि हिम युग के भूवैज्ञानिक साक्ष्यों द्वारा तथा सैकड़ों वर्षों के मानव इतिहास के अभिलेखों द्वारा दर्शाया गया है। पूर्व के परिवर्तनों के कारण सदैव स्पष्ट नहीं हैं परंतु वे सामान्यतः समुद्र की लहरों, सौर क्रियाकलाप, ज्वालामुखी विस्फोट और अन्य प्राकृतिक कारकों से जुड़े हुए माने जाते हैं। अब इसमें अंतर यह है कि वैश्विक तापमान पिछले कुछ दशकों में असामान्य रूप से तेजी से बढ़ा है। औसत वैश्विक वायु और समुद्र के तापमानों वृद्धि के, हिम और बर्फ के व्यापक रूप से पिघलने के तथा औसत वैश्विक समुद्र स्तरों में वृद्धि होने के ठोस साक्ष्य विद्यमान हैं। आईपीसीसी की चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट यह निश्कर्ष निकालती है कि वैश्विक तापन असंदिग्ध है। वायुमण्डल और समुद्रों का तापमान उस स्थिति की तुलना में अधिक है जो पिछली पांच शताब्दियों में, और संभवतः एक सहस्राब्दि से भी अधिक समय के दौरान किसी भी समय हुआ करता था। वैज्ञानिकों ने बहुत पहले यह जान लिया था कि वायुमण्डल की ग्रीनहाउस गैसों एक आवरण के रूप में कार्य करती हैं जो आने वाली सौर ऊर्जा को रोक लेती हैं और पृथ्वी की सतह को उस मात्रा तक गर्म करती है, जो अन्यथा उतना गर्म नहीं होता, तथा वायुमण्डल की ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि का अर्थ है अतिरिक्त उश्मण।

महत्वपूर्ण मौसमीय उग्र-परिस्थितियां तथा वैश्विक स्तर पर उनके प्रभाव

1998 का वर्ष उष्णतम वर्ष था तथा इसे मौसम संबंधी आपदा वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। इसने मध्य अमरीका में भयंकर तूफान से बर्बादी पैदा की तथा चीन, भारत और बंगलादेश में भयंकर बाढ़ें आईं। कनाडा और न्यू इंग्लैंड ने जनवरी 1998 में हिम तूफान के कारण भारी नुकसान उठाया तथा जून 1998 में तुर्की, आर्जेंटीना और परागुए में बाढ़ के कारण भारी तबाही हुई। इसकी तुलना में, वर्ष 1997-98 में बेमौसम बारिश तथा वर्षा के निश्कृष्ट वितरण के कारण महाराष्ट्र (भारत) में फसलों का भारी नुकसान देखा गया। 1997/1998 की अल नीनो घटना (अल नीनो प्रशांत महासागर का उश्मण है), जो पिछले शताब्दी में सबसे वीभत्स थी, ने 110 मिलियन लोगों को प्रभावित किया तथा इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग 100 बिलियन अमरीकी डॉलर का नुकसान हुआ।

2003 का वर्ष समूचे विष्व में गर्मी और सर्दी का वर्ष था। 2003 के ग्रीष्म में चलने वाली गर्म हवाओं के कारण यूरोपीय संघ (ईयू) बहुत अधिक प्रभावित हुआ। भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वे राज्य हैं जिन्होंने ग्रीष्मकालीन गर्म हवाओं का अनुभव किया। जब वर्ष 2003 के ग्रीष्म में यूरोपीय संघ गर्म हवाओं से प्रभावित हुआ, भारत ने दिसम्बर 2003 से जनवरी 2003 तक अत्यंत ठंडी हवाओं का अनुभव किया। जम्मू, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों ने अभूतपूर्व शीत लहर का अनुभव किया। बागवानी फसलों तथा मौसमीय फसलों के मामले में फसल पैदावार का नुकसान 10 से 100 प्रतिशत के बीच में था। बागवानी फसलों में फल का आकार तथा उसकी गुणवत्ता भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई। तथापि, अत्यधिक सर्दी के कारण शीतोष्ण फलों जैसे सेब, आड़ू, आलूबुखारा तथा चेरी की उच्च पैदावार हुई। यह क्षति निम्न क्षेत्रों में अधिक थी जहां ठंडी हवा नीचे बैठ गई तथा घरती पर एक लंबे समय तक बनी रही (समरा एट.एल.,2001)।

मार्च 2004 में उच्च तापमान ने भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य में गेहूं, सेब, सरसों, रेपसीड, अलसी, आलू, सब्जियों, मटर और चाय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। फसल पर निर्भर करते हुए पैदावार नुकसान का आकलन 20 प्रतिशत और 60 प्रतिशत के बीच किया गया है। गेहूं और आलू की पैदावार 15-20 दिन आगे चल रही थी तथा सेब में फूल 15 दिन पहले आ गए थे। सेब के मामले में फल के खिलने तथा फल के बनने के लिए उपयुक्त तापमान 24° से. होता है, परंतु इसने 17 दिनों के लिए 26° से. से अधिक तापमान का अनुभव किया। मार्च 2004 में हिमाचल प्रदेश राज्य में सामान्य तापमान की तुलना में समूचे क्षेत्र ने 2.1 और 7.9° से. ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया (प्रसाद और राणा, 2006)। केरल, भारत के मध्य भाग में 14 जनवरी से 16 मार्च के बीच अधिकतम तापमान में 1 से 3° से. तक हुई वृद्धि के कारण वर्ष 2003 की तुलना में वर्ष 2004 में कोको की वार्षिक पैदावार में 39 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। ऐसी ही प्रवृत्ति उस समय सदैव देखी गई जब कभी 33 से 36.5° से. के सामान्य अधिकतम तापमान की तुलना में ग्रीष्मकाल में तापमान 2 से 3° से. तक बढ़ गया।

असमय हुई वर्षा और ओला-वृष्टि ने भारत में वर्ष 2007 के रबी मौसम में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के 15,000 हेक्टेयर (है.) क्षेत्र की गेहूं की फसल को नष्ट कर दिया। इसकी तुलना में, पश्चिमी ओर से होने वाली मौसम की खराबी कारण वर्ष 2007 में कर्षीर घाटी में अत्यधिक हिमपात हुआ। ऐसी ही स्थिति वर्ष 2007 के मानसून में उत्पन्न हुई, जिसमें भारत और बंगला देश के साथ-साथ अनेक महाद्वीपों में (मेक्सिको में अगस्त में प्रचण्ड तूफान) बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में सितम्बर में आई भारी वर्षा के कारण बाढ़ आई और इस प्रकार वर्ष 2007 को भारत में ष्वाढ वर्षा के रूप में घोषित कर दिया गया। वर्ष 2007 में खरीफ के मौसम में आई बाढ़ के कारण देश के अनेक राज्यों में फसल का भारी नुकसान हुआ। यही स्थिति अलजीरिया, यूगांडा, सूडान, इथियोपिया और कीनिया में भी थी। नवम्बर 2007 में आए महाचक्रवात षसिङ्ग के कारण बंगलादेश में भारी नुकसान हुआ।

फरवरी 2007 में चीन में बीजिंग का तापमान 16° से. था, जो कि 1840 में आरंभ किए गए मौसम-विज्ञान रिकार्ड के पश्चात से सर्वाधिक तापमान था। इसके पश्चात, जनवरी 2008 में इसकी सर्वाधिक ठंडी और बर्फीली शीत ऋतु आई। 10 जनवरी 2008 के बाद से लगातार तीन सप्ताह की अवधि तक हुई भारी बर्फबारी के परिणामस्वरूप 22,000 घरों की तबाही के अलावा 104 मिलियन है. कृषि भूमि नष्ट हो गई तथा इसके परिणामस्वरूप आर्थिक नुकसान का अनुमान 7.5 बिलियन डॉलर लगाया गया था। ला नीना पद्धति को भी भारी हित तूफानों का एक अन्य कारण माना जाता है। ला नीना भूमध्यवर्ती प्रशांत महासागर में अत्यंत असामान्य शीत जल का एक विषाल भण्डार है जो पिछले कुछ वर्षों में ही विकसित हुआ है, और वैश्विक मौसम को प्रभावित करता है तथा यह अल नीनो के विपरीत है। अल नीनो प्रशांत महासागर का तापन है। 6.2.2008 को मुंबई में पारा 9.4° से. तक गिर गया, जोकि एक नया निम्नतम तापमान है। ऐसी आसामान्य मौसम पद्धतियों की विष्व में बार-बार घटित होने की संभावनाएं हैं तथा इनसे भारी आर्थिक नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है।

माध्य समुद्र तल (एमएसएल) के भारतीय तट क्षेत्र में एक मि.मी./वर्ष से कुछ कम होने की संभावना है। समुद्र तल में वृद्धि होने के फलस्वरूप सामुद्रिक जैव-विविधता में परिवर्तन होने के साथ-साथ

तटीय-पट्टी के निचले क्षेत्रों के अदृश्य होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इससे सीपों तथा ध्रुवीय भालुओं की जनसंख्या के लिए खतरा उत्पन्न होता है। मानसूनोत्तर अवधि के दौरान हवा की गति में अधिकतम वृद्धि होने के अलावा उच्च लहरों की बड़ी संख्या तथा चक्रवातों के बार-बार आने की संभावनाएं भी हो जाती हैं। समुद्र के स्तर में वृद्धि की यह प्रक्रिया कृषि के लिए उपलब्ध क्षेत्र को भी संकट में डालती है।

एफएओ की संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार भारत के वर्ष 2015 तक जलवायु में परिवर्तन होने के कारण इसके वर्षासिंचित अनाज के उत्पादन में 125 मिलियन टन, जोकि 18 प्रतिशत के समकक्ष है, का नुकसान होने की संभावना है। इसी अवधि के दौरान चीन के 360 मिलियन टन के वर्षासिंचित अनाज उत्पादन में 15 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है। यह अनाज की फसल में समूचे विश्व में भी गिरावट पैदा करेगा जिसके परिणामस्वरूप 400 मिलियन लोग भुखमरी के जोखिम में आ जाएंगे तथा 3 मिलियन लोग बाढ़ के संकट में होंगे और उन्हें स्वच्छ जल की आपूर्ति की पहुंच प्राप्त नहीं होगी। जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ उत्पादन का नुकसान भी अल्पपोषित लोगों की संख्या में भारी वृद्धि कर देगा जिससे गरीबी और खाद्य सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयास प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे। इसका सबसे गंभीर प्रभाव उप-सहाराई अफ्रीकी देशों में पड़ेगा जो जलवायु परिवर्तन के प्रति स्वयं को अनुकूल बनाने अथवा खाद्य आयातों के माध्यम से इसकी प्रतिपूर्ति करने में अत्यंत कम समर्थ हैं। वर्ष 2004 असौ 2005 में, चौबीस (24) उप-सहाराई अफ्रीकी देशों ने टिडिडियों और सूखे के भयावह संयोजन के कारण खाद्य संबंधी आपात-स्थितियों का सामना किया। इसके अलावा, संयुक्त राज्य अमरीका में प्रतिकूल गर्म और शुष्क मौसम तथा यूरोपीय संघ के भागों में व्याप्त सूखे की परिस्थितियों ने 2004 की तुलना में 2005 के खाद्यान्न उत्पादन में कमी ला दी। अनुकरण मॉडल यह दर्शाता है कि वैश्विक तापन के परिणामस्वरूप उत्तरी भारत में चावल और गेहूं के उत्पादन में कमी आई है।

भारतीय अर्थव्यवस्था अधिकांशतः कृषि पर आधारित है तथा यह मानसून के आगमन और इसके आगे की प्रवृत्तियों पर निर्भर है। वर्ष 2007 इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे भारतीय खाद्यान्न उत्पादन जुलाई की वर्षा पर निर्भर करता है तथा इस वर्ष देश में अखिल भारतीय सूखा घोषित

किया गया था क्योंकि देश के दीर्घावधिक वर्षा औसत की तुलना में वर्षा में 19 प्रतिषत की कमी आई थी और सूखे के कारण 29 प्रतिषत कृषि-क्षेत्र प्रभावित हुआ था। शअखिल भारतीय सूखाश तभी घोशित किया जाता है जब देश की वर्षा में समग्र कमी सामान्य स्तर की तुलना में 10 प्रतिषत से अधिक होती है, और जब सूखे की स्थिति के कारण देश का 20 प्रतिषत से अधिक क्षेत्र प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। वर्ष 2002 के मानसून के दौरान शअखिल भारतीय सूखेश के कारण खरीफ मौसम के खाद्यान्न उत्पादन में 19.1 प्रतिषत की भारी कमी हुई।

जलवायु परिवर्तन और कृषि

ऊपर दर्शाए गए कतिपय पूर्व अनुभवों के आधार पर कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पृथ्वी पर मानवजाति की भावी खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाला एक प्रमुख निर्णायक कारक हो सकता है। कृषि न केवल जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारक भी है। किसी निश्चित अवधि के दौरान जलवायु परिवर्तनों को समझना तथा बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए प्रबंधन प्रक्रियाओं को समायोजित करना समग्र रूप से कृषीय क्षेत्र के विकास के लिए चुनौतियां बने हुए हैं। कृषि की जलवायु संवेदनशीलता अनिश्चित है, क्योंकि वर्षा, तापमान, फसल और पैदावार प्रणालियों, मृदा और प्रबंध प्रक्रियाओं में क्षेत्र के आधार अंतर होता है। तापमान और वृष्टिपात में अंतर्वांशिक परिवर्तन तापमान और वृष्टिपात में अनुमानित परिवर्तनों की तुलना में काफी अधिक थे। यदि अनुमानित जलवायु परिवर्तन जलवायु की अस्थिरता में वृद्धि कर देते हैं, तो फसलों का नुकसान बढ़ जाता है। चूंकि वैश्विक तापन के संश्लिष्ट प्रभाव होते हैं, अतः विभिन्न फसलें भिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया दर्शाती हैं। उश्णकटिबंधीय क्षेत्र कृषि पर अधिक निर्भर होते हैं क्योंकि विष्ण की 75 प्रतिषत जनसंख्या उश्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहती है तथा इनमें से दो-तिहाई लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। प्रौद्योगिकी के निम्न स्तरों, कीटों रोगों और खरपतवारों की विषाल परिधि, भूमि क्षरण, असमान भूमि वितरण तथा जनसंख्या में हो रही तेज वृद्धि के साथ उश्णकटिबंधीय कृषि पर किसी भी प्रकार का प्रभाव उन लोगों की आजीविका को प्रभावित करेगा। चावल, गेहूं, सोरघम, सोयाबीन तथा जौ विष्ण की छह प्रमुख फसलें हैं जो 40 प्रतिषत पैदावार-क्षेत्र में

उगाई जाती हैं तथा गैर-मांस कैलोरी के 55 प्रतिशत भाग का योगदान करती हैं और पशुचारे में 70 प्रतिशत से अधिक का सहयोग करती हैं (एफएओ, 2006)। अतः इन फसलों पर पड़ने वाला कोई भी प्रभाव खाद्य सुरक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख अनुमान: भावी जलवायु पैटर्नों के अनुमान व्यापक रूप से जलवायु प्रणाली के कम्प्यूटर आधारित मॉडलों पर आधारित हैं जिनमें आने वाले दशकों के लिए सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य से ग्रीनहाउस गैसों में आशयित वृद्धि के साथ-साथ वायुमण्डल और समुद्रों के महत्वपूर्ण कारक और प्रक्रियाएं अंतर्विष्ट हैं। आईपीसीसी ने अनेक विभिन्न मॉडलों से प्रकाशित परिणामों की जांच की है तथा साक्ष्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 2010 तक—

- वैश्विक औसत सतही तापन (सतही वायु तापमान परिवर्तन) में 1.1 से 6.4° से. तक वृद्धि हो जाएगी।
- समुद्र का स्तर 18 और 59 सें.मी. के बीच बढ़ जाएगा।
- महासागर और अधिक अम्लीय हो जाएंगे।
- इस बात की बहुत संभावना है कि अत्यधिक गर्म स्थितियां, गर्म लहरें और अत्यधिक वर्षा की घटनाएं अधिक संख्या में हो जाएंगी।
- इस बात की संभावना है कि उच्च अक्षांशों पर अत्यधिक वर्षा होगी तथा यह भी संभावित है कि अधिकांश उप-कटिबंधीय भूमि-क्षेत्रों में कम वर्षा होगी।
- इस बात की बहुत संभावना है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात (टाइफून और हरीकेन्स) और अधिक प्रचण्ड हो जाएंगे जिनमें वायु की गति अत्यधिक तेज होगी और तेज वर्षा भी होगी तथा इसके साथ उष्णकटिबंधीय समुद्र के सतह के तापमानों में निरंतर वृद्धि भी होगी।

वैश्विक स्तर के मुख्य क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव: कार्यकारी समूह ५ की आईपीसीसी चौथी मूल्यांकन रिपोर्ट: प्रभाव, अनुकूलनता और सुभेद्यता जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों का वर्णन

करती है, जिनमें अत्यधिक उग्र घटनाओं में वृद्धि होना भी शामिल है। सुधारात्मक उपायों के अभाव में प्रमुख क्षेत्रों के प्रभावों को नीचे संक्षेप में दिया गया है:

जल: सूखा प्रभावित क्षेत्रों के और अधिक व्यापक रूप से वितरित होने की आशा है। भारी वर्षा की घटनाओं में भी अत्यधिक वृद्धि होने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप खाद्य जोखिमों में वृद्धि होती है। षताब्दी के मध्य तक, शुष्क उष्णकटिबंधों तथा अन्य क्षेत्रों में और मध्य अक्षांशों में जल की उपलब्धता में कमी होने की संभावना है जिनमें पर्वतीय श्रृंखलाओं से पिघलने वाले जल की आपूर्ति होती है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 16 प्रतिशत भाग वर्तमान में पर्वतीय श्रृंखलाओं से पिघलकर निकलने वाले जल पर निर्भर है।

खाद्य: जबकि कुछ मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र प्रारंभ में उच्च कृषीय उत्पादन से लाभान्वित होंगे, अन्य अनेक निम्न अक्षांश वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से मौसमीय शुष्क और उष्णकटिबंधी क्षेत्रों में स्थित इलाकों के लिए तापमान में वृद्धि तथा सूखे और बाढ़ के बार-बार आने से फसल उत्पादन नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की संभावना है जो भूख का जोखिम झेलने वाले लोगों की संख्या बढ़ाएगा तथा विस्थापन और पलायन के स्तरों में वृद्धि करेगा।

उद्योग, बस्तियां और समाज: सबसे संवेदनशील उद्योग, बस्तियां और समाज सामान्यतः वे हैं, जो तटीय क्षेत्रों और नदी के बाढ़-संभावित क्षेत्रों में स्थित हैं तथा जिनकी अर्थव्यवस्था जलवायु संवेदनशील संसाधनों के साथ निकटता से संबद्ध है। यह बात विशेष रूप से उन स्थानों पर लागू होती है जो पहले से अत्यंत प्रचण्ड मौसम-संबंधी घटनाओं के प्रति संवेदनशील हैं तथा इनमें विशेषतः वे स्थान भी शामिल हैं जहां तेजी से षहरीकरण किया जा रहा है। जिन स्थानों पर प्रचण्ड मौसम संबंधी क्रियाकलाप अधिक गहन हो गए हैं अथवा बार-बार घटित होते हैं, उन क्रियाकलापों की आर्थिक और सामाजिक लागत में भी वृद्धि हो जाती है।

स्वास्थ्य: जलवायु में होने वाले संभावित परिवर्तन लाखों लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति को बदल सकते हैं, जिसमें गर्म हवाओं, बाढ़, तूफानों, आग तथा सूखे के कारण मौतों, बीमारियों और चोट लगने की घटनाओं में वृद्धि होना भी शामिल है। कुछ क्षेत्रों में अतिसार रोग तथा मलेरिया का प्रकोप संपूर्ण मानव स्वास्थ्य के लिए सुभेद्यता में वृद्धि करता है तथा आपदाओं के कारण स्वास्थ्य प्रणालियों को होने वाली दीर्घकालिक क्षति से विकास संबंधी लक्ष्य प्रभावित होते हैं।

एशिया पर संभावित प्रभाव

- एशिया-प्रशांत क्षेत्र चावल और गेहूं की विष्वव्यापी पैदावार के मामले में सर्वाधिक प्रभावित होगा तथा पैदावार में कमी दक्षिण एशिया के 1.6 बिलियन लोगों की खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगी।
- फसल मॉडल यह दर्शाता है कि दक्षिण एशिया में, 20 फसलों की औसत पैदावार 2000 की तुलना में, 2050 में जलवायु परिवर्तन के कारण गेहूं में लगभग 50 प्रतिषत, चावल में 17 प्रतिषत तथा मक्का में 17 प्रतिषत तक गिर जाएगी।
- पूर्व एशिया और प्रशांत में, जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों की पैदावार 2000 के स्तरों की तुलना में, 2015 में चावल में लगभग 20 प्रतिषत, सोयाबीन में 13 प्रतिषत, गेहूं में 16 प्रतिषत तथा मक्का में 4 प्रतिषत तक गिर जाएगी।
- जलवायु परिवर्तन के साथ, 2050 में एशिया में औसत कैलोरी की उपलब्धता लगभग 15 प्रतिषत तक निम्न होने की संभावना है तथा किसी गैर-जलवायु परिवर्तन परिदृश्य की तुलना में अनाज का उपयोग 24 प्रतिषत तक नीचे गिरने का अनुमान लगाया गया है।

- गैर-जलवायु परिवर्तन परिदृश्य में, दक्षिण एशिया में कुपोषण का षिकार बालकों की संख्या 2000 से 2015 के बीच के 76 से 52 मिलियन तक गिर जाएगी तथा पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में यह 24 से 10 मिलियन तक गिर जाएगी।
- जलवायु परिवर्तन इस कतिपय प्रगति को समाप्त कर देगा; जिससे दक्षिण एशिया में कुपोषण का षिकार बच्चों की संख्या 2050 में बढ़कर 59 मिलियन हो जाएगी तथा पूर्व एशिया और प्रशांत क्षेत्र में यह 14 मिलियन हो जाएगी जिससे कुपोषण का षिकार बच्चों की कुल संख्या बढ़कर लगभग 11 मिलियन हो जाएगी।
- पोषण पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए दक्षिण एशिया को ग्रामीण विकास के क्षेत्र में 1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर के अतिरिक्त वार्षिक निवेश की आवश्यकता होगी जबकि प्रशांत क्षेत्र में लगभग 1 मिलियन अमरीकी डॉलर अतिरिक्त आवश्यक होगा। दोनों ही क्षेत्रों में, इन निवेशों का लगभग आधा भाग सिंचाई के विस्तार के लिए होना चाहिए।
- जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक सुभेद्य एशियाई देश हैं—अफगानिस्तान, बंगलादेश, कम्बोडिया, भारत, लाओ पीडीआर, म्यांमार और नेपाल।
- अन्य कारकों के साथ—साथ ग्लेषियरों के पिघलने, बाढ़, सूखा आने, दोशपूर्ण वर्षा, आदि के कारण अफगानिस्तान, बंगलादेश भारत और नेपाल, फसल पैदावार में कमी के प्रति अधिक सुभेद्य हैं।
- एशिया समूचे विष्व में सर्वाधिक आपदा-प्रभावित क्षेत्र है तथा इसके लगभग 89 प्रतिशत लोग विष्वव्यापी आपदाओं द्वारा प्रभावित होते हैं।

भारत में जलवायु में देखे गए परिवर्तन और मौसम घटनाएं

सतह का तापमान

राष्ट्रीय स्तर पर, पिछली एक शताब्दी में सतह की वायु के तापमान में 0.4° से. की वृद्धि देखी गई है। मध्य भारत के पश्चिमी तट, आंतरिक प्रायद्वीप और उत्तर-पूर्वी भारत में तापन प्रवृत्ति देखी गई है। तथापि, उत्तर-पश्चिमी भारत तथा दक्षिण भारत के भागों में शीत प्रवृत्तियां देखी गई हैं।

वर्षा

जबकि अखिल भारतीय स्तर पर देखी गई मानसूनी वर्षा कोई उल्लेखनीय प्रवृत्ति नहीं दर्शाती है, क्षेत्रीय मानसून में अंतर दर्ज किए गए हैं। पश्चिमी तट, उत्तरी आंध्र प्रदेश तथा उत्तर-पश्चिमी भारत में मानसून की मौसमीय वर्षा में वृद्धि का रूझान पाया गया है (पिछले 100 वर्षों में सामान्य को + 10 प्रतिशत से + 12 प्रतिशत तक), जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत तथा गुजरात और केरल के कुछ भागों में मानसून की मौसमीय वर्षा में कमी का रूझान देखा गया है (पिछले 100 वर्षों में सामान्य के -6 प्रतिशत से -8 प्रतिशत तक)।

प्रचण्ड मौसमीय घटनाएं

बहु-दशकीय अवधियों में अधिक गंभीर सूखे के बाद कम गंभीर सूखे की प्रचण्ड मौसमीय घटनाएं देखी गई हैं। तटों के किनारों 0.011 घटना प्रतिवर्ष की दर से प्रचण्ड तूफान की घटनाओं के रूझान में समग्र वृद्धि हुई है। जबकि पश्चिम बंगाल और गुजरात ने वृद्धि के रूझानों की सूचना दी है, उड़ीसा में गिरावट देखी गई है। एक दैनिक वर्षा डाटा सेट का विश्लेषण करते समय वैज्ञानिकों ने (प) उच्च वर्षा की घटनाओं की बारंबारता में वृद्धि का रूझान तथा (पप) 1951 से 2000 तक मध्य भारत में सौम्य घटनाओं की बारंबारता में उल्लेखनीय कमी दर्शाई है।

समुद्र के स्तर में वृद्धि

40 वर्षों से अधिक समय से उत्तरी भारत समुद्र में तटीय लहरों के मापन के रिकार्डों का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि समुद्र के स्तर में वृद्धि प्रतिवर्ष 1.06–1.75 मिमी. के बीच थी। ये दरें वैश्विक समुद्रों के स्तर में आईपीसीसी के 1–2 मि.मी. प्रति वर्ष के अनुमानों के अनुरूप हैं।

भारतीय ग्रीष्म मानसून (आईएसएम) प्रचण्डता में 2040 के आरंभ में वृद्धि होने तथा 2100 तक इसके 10 प्रतिशत तक बढ़ जाने का अनुमान लगाया गया है।

हिमालय ग्लेशियरों पर प्रभाव

हिमालय हिम और बर्फ का एक विषाल स्रोत धारित करता है तथा इसके ग्लेशियर बारह मासी नदियों जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के लिए जल का स्रोत बनते हैं। ग्लेशियरों के गलने से उनके दीर्घकालिक सूक्ष्म-मौसमीय प्रवाह प्रभावित होते हैं तथा जल की उपलब्धता तथा जलविद्युत उत्पादन के संदर्भ में अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

हिमालयी ग्लेशियरों पर उपलब्ध मॉनीटरिंग डाटा यह दर्शाता है कि जबकि कुछ हिमालय क्षेत्रों में कतिपय ग्लेशियरों का हाल के वर्षों में अपसर्पण हो गया है, परंतु रुझान समस्त पर्वतीय श्रृंखला में एकरूप नहीं हैं।

21वीं शताब्दी के लिए भारत में जलवायु परिवर्तन के कुछ रुझान

कुछ मॉडलिंग तथा अन्य अध्ययनों ने वैश्विक मानवीय उत्सर्जनों से पर्यावरण में उत्पन्न होने वाले जीएचजी संकेद्रणों में वृद्धि के कारण निम्नलिखित परिवर्तनों का अनुमान लगाया है:—

वार्षिक माध्य सतहीय तापमान

भारतीय उष्टकटिबंधी मौसम-विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे द्वारा किए गए अनुरूपण अध्ययनों ने अनुमान लगाया है कि वार्षिक माध्य सतहीय तापमान में षताब्दी के अंत तक 3 से 5° से. तक की वृद्धि होने का अनुमान है जिसमें सर्वाधिक उश्मण भारत के उत्तरी भागों में अधिक सुस्पष्ट होगा।

जल संसाधनों पर प्रभाव

मुख्य जलावायु अस्थिरताओं अर्थात् तापमान, वर्षा और आर्द्रता में परिवर्तनों के जल की गुणवत्ता और मात्रा के संदर्भ में उल्लेखनीय दीर्घकालिक विविक्षाएं हो सकती हैं। ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदियों की प्रणालियां, जो षुष्क मौसम में हिम के गलने से लाभान्वित होती हैं, हिम के आवरण में कमी होने के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती हैं। नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर सभी नदियों की द्रोणियों में बहने वाले कुल जल में कमी भारत के नैटकॉम ८ (एनएटीसीओएम) में अनुमानित की गई है। सारमती और लूनी द्रोणियों के लिए भी जल बहाव में दो-तिहाई से अधिक की गिरावट का अनुमान लगाया गया है। समुद्र-तल में वृद्धि के कारण, तटीय क्षेत्रों के निकट स्थित ताले जल के स्रोत लवण की मात्रा से प्रभावित होंगे।

कृषि तथा खाद्य उत्पादन पर प्रभाव

भारत में खाद्य-उत्पादन जलवायु परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील हैं जैसे मानसून की वर्षा में अस्थिरता तथा किसी मौसम के मध्य तापमान में परिवर्तन। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) तथा अन्य द्वारा किए गए अध्ययनों ने रबी फसल में अत्यधिक अनुमानित घाटा दर्शाया है। तापमान में 1° से. की प्रत्येक वृद्धि गेहूं के उत्पादन में 4-5 मिलियन टन की कमी कर देती है। तापमान और वर्षा में छोटे-छोटे परिवर्तन फलों, सब्जियों, चाय, कॉफी, सुगंधित और औषधीय पादपों, और बासमती चावल की गुणवत्ता में उल्लेखनीय प्रभाव डालते हैं। रोगाणुओं तथा कीटों की जनसंख्या

तापमान और आर्द्रता पर अत्यधिक निर्भर रहती है तथा इन मानदण्डों में परिवर्तन उनकी जनसंख्या की गत्यामकता को बदल सकता है। कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों पर अन्य प्रभाव हैं, डेयरी मवेशियों से कम मात्रा में दुग्ध तथा मत्स्य प्रजनन, प्रवास और पैदावार में कमी। वैश्विक रिपोर्ट 2100 तक फसल उत्पादन में 10–40 प्रतिषत का घाटा दर्शाती हैं।

भारत की जलवायु पर दक्षिण–पश्चिमी मानसून का आधिपत्य है, जो क्षेत्र की अधिकांश वर्षा को लेकर आता है। यह पेयजल की उपलब्धता तथा कृषि के लिए सिंचाई हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषीय उत्पादकता जलवायु–प्रेरित प्रभावों के दो व्यापक वर्गों के प्रति संवेदनशील है (प) तापमान, वर्षा अथवा कार्बन डाइऑक्साइड संकेन्द्रणों में परिवर्तन से प्रत्यक्ष प्रभाव, तथा (2) मृदा की आर्द्रता और वितरण तथा कीटों एवं रोगों द्वारा संक्रमण की बारंबारता में परिवर्तनों के माध्यम से अप्रत्यक्ष प्रभाव। चावल और गेहूं की पैदावार में जलवायु परिवर्तनों के साथ पर्याप्त रूप से गिरावट आती है (आईसीसी 1996; 2001)। तथापि, जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि उत्पादनों की सुमेद्यता न केवल प्रभावित पादप की मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है, बल्कि पैदावार में परिवर्तनों और साथ ही सूखे एवं बाढ़ की बारंबारता में परिवर्तनों का सामना करने के लिए उत्पादन की प्रभावित सामाजिक–आर्थिक प्रणालियों की योग्यता पर भी निर्भर करती है। भारत में किसानों की अनुकूलनता प्राकृतिक कारकों पर अत्यधिक निर्भरता तथा सम्पूरक इनपुटों और संस्थागत सहायता प्रणालियों के अभाव द्वारा पर्याप्त रूप से सीमित होती है। तापमान में 2° से. से 3.5° से. तक की वृद्धि के लिए फार्म स्तर पर निवल राजस्व में होने वाली हानि का अनुमान 9 प्रतिषत से 25 प्रतिषत के बीच लगाया गया है। वैज्ञानिकों ने यह अनुमान भी लगाया है कि माध्य तापमान में 2° से. की वृद्धि तथा माध्य वर्षा में 7 प्रतिषत की बढ़ोतरी देश के समग्र राजस्व को 12.3 प्रतिषत तक कम कर देगी। गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में कृषि को सर्वाधिक नकारात्मक रूप से प्रभावित होता हुआ पाया गया है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्रों में छोटे नुकसानों की घोशणा भी की गई है। दूसरी ओर, पश्चिम

बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के उश्मण से कुछ हद तक लाभान्वित होने का अनुमान लगाया गया है।

स्वास्थ्य पर प्रभाव

जलवायु में परिवर्तन महत्वपूर्ण वाहक प्रजातियों (उदाहरण के लिए मलेरिया के मच्छर) के वितरण को परिवर्तित कर सकता है तथा ऐसे रोगों को नए क्षेत्रों में फैला सकता है। यदि तापमान में 3.8° से. की वृद्धि होती है तथा सापेक्षी आर्द्रता 7 प्रतिशत तक बढ़ती है, तो संचरण वातायन, अर्थात् वे माह जिनमें मच्छर सक्रिय होते हैं, भारत में 9 राज्यों में सभी बारह महीनों के लिए खुल जाएंगे। जम्मू-कश्मीर तथा राजस्थान में संचरण वातायनों में 3-5 माह की वृद्धि हो जाएगी। तथापि, उड़ीसा तथा कुछ दक्षिणी राज्यों में, तापमान में आगे वृद्धि द्वारा संचरण वातायन 2-3 माह तक कम होने की संभावना है।

वनों पर प्रभाव

जलवायु संबंधी अनुमान यह दर्शाते हैं कि देश वन उत्पाद में पारिणामिक परिवर्तनों सहित वन प्रकारों में परिवर्तन का अनुभव कर सकता है तथा इसके परिणामस्वरूप इन उत्पादों के आधार पर आजीविकाएं भी प्रभावित होती हैं। तदनुसार, सहयोजित जैव-विविधता के भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है।

प्रचण्ड घटनाओं के प्रति सुभेद्यता

अत्यधिक आबादी वाले क्षेत्र जैसे तटीय क्षेत्र जलवायु संबंधी घटनाओं चक्रवात, बाढ़, सूखा आदि से प्रभावित होते हैं तथा शुष्क और अर्ध-शुष्क अंचलों में प्रचण्ड जलवायु के दौरान बौए गए क्षेत्रों में पैदावार में भारी गिरावट होती है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के विषाल क्षेत्रों तथा कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के तुलनात्मक रूप से छोटे क्षेत्रों में बार-बार सूखा पड़ता है। लगभग 40 मिलियन हैक्टेयर भूमि सूखा-प्रवण है जिसमें उत्तर तथा उत्तर-पूर्वी पट्टी में स्थित अधिकांश नदियों की द्रोणियां शामिल हैं, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष औसतन लगभग 30 मिलियन लोग प्रभावित होते हैं।

तटीय क्षेत्रों पर प्रभाव

21वीं शताब्दी के मध्य तक भारत के तटीय क्षेत्रों में माध्य समुद्र स्तर वृद्धि (एसएलआर) 15–38 सेमी. तथा 2100 तक 46–59 सेमी. तक होने का अनुमान है। इसके अलावा, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की प्रचण्डता में होने वाली अनुमानित वृद्धि देश में अत्यधिक आबादी वाले तटीय अंचलों के लिए एक खतरा पैदा करती है (नेटकॉम, 2004)

जैव-विविधता पर प्रभाव

जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल ने यह अनुमान लगाया है कि 21वीं शताब्दी के दौरान वैश्विक औसत तापमान वृद्धि 1.4° से 4° सेल्सियस के बीच होगी। निर्धनों की तीन प्रमुख फसलों

अर्थात् मूंगफली, लोबिया और आलू के जंगली संबंधियों के वितरण मॉडल पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय कृषीय अनुसंधान परामर्ष समूह द्वारा किए गए अनुसंधान ने यह दर्शाया है कि जंगली प्रजातियों की 15–22 प्रतिशत किस्में 2055 तक विलुप्ति के संकट का सामना करेंगी। जैविक विविधता की हानि के समूचे विश्व पर दीर्घकालिक गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

कीटों पर प्रभाव

कीटों और रोगों पर जलवायु परिवर्तन के कुछ सर्वाधिक नाटकीय प्रभावों के संधिपाद कीटों जैसे मच्छरों, लघु-मच्छरों, खटमलों, पिस्सुओं तथा सैंड फ्लाय्स तथा उनके द्वारा वाहित किए जाने वाले वायरसों के मध्य देखे जाने की संभावना है। तापमान और आर्द्रता स्तरों में परिवर्तन के साथ इन कीटों की जनसंख्या अपनी भौगोलिक परिधि में भी विस्तार कर लेती है, तथा ऐसे जानवरों और मनुष्यों को रोग संचरित करते हैं जिनके पास प्राकृतिक प्रतिरक्षण-शक्ति का अभाव होता है। पादप कीट, जिनमें कीट-पंतगे, रोगाणु और खरपतवार शामिल हैं, खाद्य और कृषि उत्पादन के लिए सबसे बड़ी बाधा बने रहना जारी हैं। उदाहरण के लिए, फ्रूट फ्लाय्स फलों और सब्जियों को अत्यधिक क्षति कारित करती हैं। ऐसे कीटों को नियंत्रित करने के लिए प्रायः कीटनाशकों के प्रयोग की आवश्यकता होती है जिनके मानव-स्वास्थ्य और पर्यावरण पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। कीटों और रोगों की बढ़ती हुई संख्या के परिणामस्वरूप स्थानीय खाद्य आपूर्ति में कीटनाशक अवशिष्टों और पशु औषधियों के उच्च और प्रायः असुरक्षित स्तर उत्पन्न हो सकते हैं। तथा वर्षा, तापमान और सापेक्षी आर्द्रता में परिवर्तन तत्काल ही मूंगफली, गेहूं, मक्का, चावल और कॉफी जैसे खाद्य-पदार्थों को ऐसे कवकों द्वारा संदूषित कर सकता है जो पर्याप्त हानिकारक माइकोटॉक्सिन उत्पन्न करते हैं।

(I) **बढ़ते हुए तापमान के प्रभाव:** सौम्य जलवायु में बढ़ा हुआ तापमान कीटों की जनसंख्या में वृद्धि कर सकता है। निरंतर बढ़ता तापमान कीटों की उत्तरजीविता, विकास, भौगोलिक परिधि तथा जनसंख्या आकार को प्रभावित कर सकता है। यह कीटों के शरीरविज्ञान को भी प्रभावित करता है। ऐसी परिस्थितियों में, कुछ कीट अपने जीवन-चक्र को पूरा करने के लिए अनेक वर्ष ले सकते हैं (किकाडास, आर्टिक मॉथ) तथा कुछ कीट अंश दिवसों के आधार पर कतिपय तापमान परिधि में तेजी के साथ विकसित होते हैं (गोभी के कीड़े, प्याज के कीड़े, यूरोपियन कॉर्न बोरर, कोलोराडो पोटेटो बीटल, एफिड्स, डायमंड बैक मॉथ)। अतः फसल का नुकसान बढ़ जाता है। प्रवासी कीट पहले प्रवास कर लेते हैं। प्राकृतिक षत्रु-मेजबान संबंध-प्रभावित होता है जिसके फलस्वरूप परजीवियों की संख्या में कमी आती है। बढ़ता हुआ तापमान कीटों जैसे थ्रिप्स के लिंग अनुपातों में परिवर्तन करता है। उष्ण शीत के परिणामस्वरूप कीटों की निम्न शीत मृत्युदर के कारण कीटों की जनसंख्या में वृद्धि होती है। उच्च तापमानों के कारण फसलों का भौगोलिक रूप से स्थानांतरण होता है अतः इसके कीट भी उच्च तुंगता में अंतरित होते हैं। जीवाणुओं के अभिलेखों से, यह समझा गया है कि कीट प्रजातियों की विविधता तथा उनके आहार की गहनता तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है। बढ़े हुए तापमान कुछ ऐसी फसलों में कीटों की जनसंख्या को कम कर देते हैं (एफिड्स), जो उच्च तापमान में नहीं उगाई जा सकती हैं। यही स्थिति उस कीट के प्राकृतिक षत्रुओं के संवर्धित क्रियाकलापों के लिए अनुकूल होती है जिससे इसकी जनसंख्या में और कमी आ जाती है।

(II) **वर्षा के प्रभाव:** वर्षा की बूंदें भौतिक रूप से कीटों को उनके मेजबानों से अलग कर देती हैं जैसे लीफ हॉपर, प्लांट हॉपर, कीट, कृत्य-कृमि आदि जबकि अन्य पानी में डूबकर मर जाते हैं, जैसे मीली बग, फ्रूट फ्लार्ड का प्यूपा, हेलीकोवर्पा, स्पेडोप्टेरा, एटीला, राइस स्टेम बोरर आदि। दीमकों तथा तनों पर छिद्र करने वाले कीटों के लिए एक नियंत्रणकारी उपाय के रूप में फलडिंग का प्रयोग

भी किया जाता है। भारी वर्षा कवक रोगाणुओं (गन्ने के पाइरिला) द्वारा कीट एपीजूटिक्स उत्पन्न करती है। यह अनुमान लगाया गया है कि कृत्य-कृमि जन्तुबाधा भविष्य में अधिक होगी क्योंकि अधिक जल तथा ग्रीष्मकालीन वर्षा के प्रति अधिक संवेदनशील है, जिसमें भविष्य में वृद्धि होगी।

(III) बढ़ते हुए CO_2 स्तर के प्रभाव: कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे परिवर्तन का एक सटीक उदाहरण है जिसके सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों प्रभाव हो सकते हैं। सवर्धित प्रकाश-संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड के सकारात्मक क्रियात्मक प्रभाव हो सकते हैं। यह प्रभाव मक्का और घास जैसे C_4 पादपों की तुलना में गेहूं और चावल जैसी C_3 फसलों पर अधिक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड संकेन्द्रण में परिवर्तनों के प्रत्यक्ष प्रभाव तापमान, वर्षा और विकिरण में परिवर्तनों के माध्यम से होते हैं। तथापि, अप्रत्यक्ष प्रभाव बढ़ते हुए तापमान और सापेक्षी आर्द्रता के कारण कीटों और रोगों द्वारा मृदा आर्द्रता और जन्तुबाधा में परिवर्तन लाते हैं। तापमान में वृद्धि के माध्यम से ऐसे अप्रत्यक्ष प्रभाव फसल की अवधि को कम करेंगे, फसल की घसस दर में वृद्धि करेंगे, वाष्प-उत्सर्जन करेंगे, उर्वरक प्रयोग की कार्यकुशलता में कमी करेंगे तथा कीटों की जन्तुबाधा में वृद्धि करेंगे। इस संबंध में आम सहमति है कि मुख्य मौसम (खरीफ) फसल की पैदावार में उच्च कार्बन डाइऑक्साइड स्तरों के प्रभाव के कारण वृद्धि होगी। तथापि, बढ़े हुए तापमान के कारण रबी फसल के लिए पैदावार में भारी कमी का अनुमान लगाया गया है। वायुमण्डल में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता हुआ स्तर कीट जनसंख्या पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। उच्च कार्बन डाइऑक्साइड संकेन्द्रण में सोयाबीन की फसल में पूर्व की तुलना में 57 प्रतिशत अधिक कीट क्षति थी (जापानी बीटल, लीफहॉपर, रूट, वॉर्म, मैक्सिकन बीन बीटल)। इसने पत्तियों में सामान्य षर्करा के स्तर में वृद्धि कर दी जिससे कीटों, द्वारा उन्हें अधिक क्षति पहुंचाई गई। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़े हुए स्तर के कारण पादप ऊर्तक में सी/एन अनुपात में वृद्धि कीटों के विकास को धीमा करती है तथा कीटों के जीवन-चक्र की अवधि को बढ़ाती है जिससे वे परजीवीनाषकों के हमले के

प्रति अधिक सुभेद्य हो जाते हैं, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन की विद्यमान दर पर, ऐसे प्रमुख कीटों, जो मक्का को निषाना बनाते हैं, की संख्या में वृद्धि हो जाएगी तथा वे 21वीं शताब्दी की समाप्ति तक अपनी परिधि में विस्तार कर लेंगे।

(IV) कीटनाशक प्रयोग कार्यकुशलता पर प्रभाव: मक्का के कीटों पर नियंत्रण करने के लिए गर्म तापमान में अधिक संख्या में कीटनाशक अनुप्रयोगों की आवश्यकता होती है (अर्थात् सामान्य से तीन अधिक)। कीटविज्ञानी गर्म जलवायु में कीटों की अधिक संख्या का अनुमान लगाते हैं जिसके लिए कीटनाशकों के अनुप्रयोगों की भी अधिक मात्रा की आवश्यकता होगी। यह उत्पादन की लागत तथा पर्यावरणीय प्रदूषण में वृद्धि करेगा। उच्च तापमानों में संश्लिष्ट पाइरेथ्रॉयड्स और नैचुरालाइट स्पिनोसैड कम प्रभावी होंगे। अतः किसानों के लिए यह परामर्शनीय है कि वे अनुप्रयोगों की अधिक संख्या के मामले में प्रतिरोध-क्षमता के विकास को दूर करने के लिए बार-बार समान कार्रवाई के साथ कीटनाशकों का प्रयोग न करें। सांस्कृतिक प्रबंध प्रक्रियाएं अर्थात् जल्द रोपण सहायक नहीं होगा क्योंकि गर्मी के कारण कीटों का षीघ्र अभ्युदय हो जाएगा।

(V) प्राकृतिक कीट नियंत्रण पर प्रभाव: वैश्विक तापन द्वारा क्षेत्रीय जलवायु के अधिक विविधतापूर्ण तथा गैर-अनुमानयोग्य होने का अनुमान है जो कीटों तथा उनके प्राकृतिक षत्रुओं के बीच संबंधों को प्रभावित कर सकती है। सर्वाधिक अस्थिर वर्षा की अवधियों में, इल्ली में पैरासिटॉयड्स की संख्या अत्यंत कम देखी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पैरासिटॉयड्स अंडे देने के लिए श्रेष्ठ समय का निर्धारण करने के लिए संकेतों अर्थात् स्थानीय जलवायु में परिवर्तन का प्रयोग करता है। गैर-अनुमानयोग्य वर्षा पैरासिटॉयड्स की अपने इल्ली मेजबान की तलाष करने की क्षमता को बाधित करती है। वास्प वर्षा आरंभ होने को उसके कोकून से बाहर आने के सही समय के रूप में संकेत के रूप में लेता है तथा अपने अंडे देने के लिए इल्ली की तलाष करता है। यदि वर्षा में

विलंब होता है, तो उनका जन्म भी देर से होता है तथा वे मेजबान के लार्वा चरण तक नहीं पहुंच पाते हैं जिससे प्राकृतिक कीट नियंत्रण में कमी होती है। जलवायु में परिवर्तन के कारण, सूखे, गर्म हवाओं, धूल भरी आंधियों तथा बाढ़ आदि के बार-बार आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं जिससे प्राकृतिक पारिस्थितिकी बाधित होती है।

(VI) वन्य कीट-पतंगों पर प्रभाव: जलवायु परिवर्तन का वन्य कीट-पतंगों पर पड़ने वाले प्रभाव का पूर्वानुमान लगाना कठिन है क्योंकि कीटों तथा वृक्षों के बीच पारस्परिक संबंध अत्यंत जटिल होते हैं। वैश्विक तापन के कारण ग्रीन स्पूस एफिड (एलाटोबियम एबीटिनम) की संख्या में वृद्धि होती है। तापन के कारण स्पूस बार्क बीटल (डेंट्रोक्टोनस मिकांस) की संख्या में वृद्धि होती है क्योंकि इसके शिकारी रीजोफेगस ग्रैंडिस तापमान में वृद्धि के कारण लाभान्वित होते हैं। गर्म तटीय क्षेत्रों में एषियन लांग हॉर्न बीटल (एनोप्लोफोरा ग्लैब्रिपेनिस) की जनसंख्या में वृद्धि होती है, जो सड़क के वृक्षों पर हमला करते हैं। सामान्यतः यह माना गया है कि जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप अनेक वन्य कीट-पतंगों में वृद्धि होती है। इसके साथ-साथ, यह भी स्वाभाविक है कि कीटों के प्राकृतिक शत्रु भी इससे लाभान्वित होंगे। अतः किसी हद तक यह स्पष्ट नहीं है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन का समग्र प्रभाव वन्य कीट-पतंगों पर क्या होगा।

रोगों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अथवा जलवायु परिवर्तन द्वारा कारित किया कोई भी प्रत्यक्ष लाभ पादपभक्षी कीटों, पादप रोगजनकों तथा खरपतवार द्वारा आंशिक या पूर्णतः समाप्त हो सकता है। अतः जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत फसल पैदावार की इन जैविक बाधाओं पर विचार करना महत्वपूर्ण है।

वृद्ध पादप रोगप्रणालियों पर प्रभाव: जलवायु परिवर्तन के पास मेजबान के शरीर विज्ञान तथा प्रतिरोध-क्षमता में संशोधन करने तथा रोगजनकों के विकास की अवस्थाओं तथा दरों को परिवर्तित करने

की क्षमता विद्यमान है। सर्वाधिक संभावित प्रभाव होंगे—मेजबान और रोगजनक के भौगोलिक वितरण में परिवर्तन, मेजबान—रोगजनक संपर्कों के क्रियाविज्ञान में परिवर्तन तथा फसल नुकसान में परिवर्तन। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रभाव होगा नियंत्रण कार्यनीतियों की प्रभावकारिता में परिवर्तन।

;प्द्ध मेजबान और रोगजनक का भौगोलिक वितरण: यदि तापन कृषि जलवायु अंचलों को आर्जवगामी अंतरण कारित करता है और मेजबान पादप नए क्षेत्र में अंतरित होता है, तो नए रोग की जटिलताएं उत्पन्न हो जाएंगी तथा कुछ रोग आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे। रोगजनक अंतरित होने वाले मेजबान का पीछा करेंगे तथा प्राकृतिक पादप पण्यों की अनियंत्रित वनस्पति को संक्रमित कर देंगे जो पूर्व में कृषीय फसलों से अधिक आक्रामक धब्बों के प्रति अनावृत्त नहीं हुई थी। रोगजनक प्रकीर्णन, प्रकीर्णन के लिए पर्यावरण की उपयुक्तता, मौसमों के बीच उत्तरजीविता तथा नए पर्यावरण में मेजबान क्रियाविज्ञान एवं पारिस्थिकी में कोई परिवर्तन मुख्य रूप से यह अवधारित करेगा कि रोगजनक कितनी तेजी के साथ नए क्षेत्र में स्थापित हो सकते हैं। रोगजनकों के प्रकार, मात्रा तथा सापेक्षी महत्व में परिवर्तन हो सकते हैं तथा वे किसी फसल—विषेश को प्रभावित करने वाले रोगों के स्पेक्ट्रम को प्रभावित करते हैं। ऐसा वैकल्पिक मेजबानों वाले रोगजनकों के साथ अधिक स्पष्ट रूप से हो सकता है। सीमांत जलवायु में उगने वाले पादप प्राचीन तनाव का अनुभव कर सकते हैं, जो उन्हें कीटों और रोगों के फैलने की स्थिति पर रक्षा के लिए तैयार करेगा। तापन तथा अन्य परिवर्तन पादपों को रोगजनकों द्वारा क्षतिग्रस्त होने के प्रति और सुभेद्य बना सकते हैं, जो गैर—अनुकूल जलवायु के कारण वर्तमान में महत्वपूर्ण नहीं होते हैं।

;प्द्ध मेजबान रोगजनक संपर्कों का क्रियाविज्ञान—उत्थापित कार्बन डाइऑक्साइड: पत्ती के क्षेत्र और अवधि में वृद्धि, पत्ती की मोटाई, प्रषाखन, अंतर्भूस्तरी, तने और जड़ की लंबाई और षुश्क भार अनेक पादपों पर वर्धित कार्बन डाइऑक्साइड के जाने—माने प्रभाव हैं। वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि उत्थापित कार्बन डाइऑक्साइड षिखर के आकार तथा घनत्व में वृद्धि करती है जिसके परिणामस्वरूप उच्च पोशक गुणवत्ता का अत्यधिक बायोमास प्राप्त होता है। जब इसे वर्धित षिरा आर्द्रता के साथ संयोजित किया जाता है, तो इसके पत्तों के रोगों को प्रोत्साहित करने की संभावनाएं हो जाती हैं, जैसे जंग, चूर्ण के स्वरूप वाली

फफूंदी, पत्ते पर धब्बे और चित्तियां। पादप के अवषिष्ट का अपक्षय पोषण चक्र में तथा अनेक रोगजनकों के मृतभक्षियों की उत्तरजीविता में एक महत्वपूर्ण कारक है। अपषिष्ट का संवर्धित सी: एनअनुपात उत्थापित कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्गत पादप विकास का परिणाम है। वैज्ञानिकों ने यह दर्शाया है कि उच्च-कार्बन डाइऑक्साइड अपषिष्ट का अपक्षय एक निम्न दर पर घटित होता है। संवर्धित पादप बायोमास, अपषिष्ट का धीमा अपक्षय तथा उच्च शीत तापमान अति-प्रशीतित फसल अवषिष्ट पर रोगजनक की उत्तरजीविता में वृद्धि करता है तथा पष्चातवर्ती फसलों को संक्रमित करने के लिए उपलब्ध प्रारंभिक संचारण की मात्रा में वृद्धि करता है। चयनित कवकीय रोगप्रणालियों में मेजबान-रोगजनक के संपर्कों के फलस्वरूप उत्थापित कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभावों पर दो महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां उभरती हैं। पहली, रोगजनकों की प्रारंभिक स्थापना रोगजनक की आक्रामकता और/अथवा मेजबान की संवेदनशीलता में परिवर्तनों के कारण विलंबित होती है। दूसरा महत्वपूर्ण निश्कर्ष उत्थापित कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्गत रोगजनकों की उत्पादकता में वृद्धि होना है।

उत्थापित तापमान: तापमान में वृद्धि मेजबान के क्रियाविज्ञान तथा प्रतिरोधक-क्षमता को आषोषित कर सकती है। उश्मा-प्रेरित संवेदनशीलता तथा तापमान-संवेदी जीनों पर पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है। इसकी तुलना में, कवकीय रोगजनकों की प्रतिरोध-क्षमता में वृद्धि के लिए कोषिका दीवारों का काश्टीकरण उच्च तापमानों में रातिब प्रजातियों में संवर्धित हुआ। अतः प्रभाव मेजबान-रोगजनक के संपर्कों तथा प्रतिरोध के तंत्र की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्राकृतिक समुदायों में कृषीय फसलें और पादप लक्षणविहीन वाहकों के रूप में रोगजनकों को आश्रय दे सकती हैं तथा रोग तब विकसित हो सकता है, जब पादपों को उश्ण जलवायु में प्रतिबलित किया जाता है। मेजबान का तनाव विभिन्न वन प्रजातियों के पतन में एक विषिष्टतः महत्वपूर्ण कारक है।

फसल की हानि: उत्थापित कार्बन डाइऑक्साइड पर जड़ों तक परिपाचकों का संवर्धित विभाजन निरंतर इन फसलों में होता है, जैसे गाजर, चुकुंदर और मूली। यदि जड़ों में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड भण्डारित

जाएगी, तो जड़ फसलों के मृदा-जनित रोगों से हानियां जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत कम हो जाएंगी। इसकी तुलना में, जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत उच्च तापमान और आर्द्रता, तापमान और वृष्टिपात में वृद्धि के परिणामस्वरूप फसल की हानि में वृद्धि हो सकती है। उत्थापित कार्बन डाइऑक्साइड से हृद् षिराओं के प्रभाव पत्तियों के रोगवाहकों से फसलों के नुकसान में वृद्धि कर सकते हैं।

जलवायु परिवर्तन पर आईसीएआर के अनुसंधान के निष्कर्ष: कृषि प्रणाली पर जलवायु परिवर्तन द्वारा प्रस्तुत की गई चुनौतियों का सामना करने के लिए आईसीएआर ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझने तथा अपने नेटवर्क अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से अनुकूलन और न्यूनीकरण कार्यनीतियां विकसित करने के लिए उच्च प्राथमिकताएं प्रदान की हैं। इन अनुसंधान निष्कर्षों में से कुछ इस प्रकार हैं:-

- ❖ प्रथम और द्वितीय अंकुरण स्तरों पर रेंडी फसल की विकास और पैदावार प्रतिक्रिया ने संवर्धित कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाई।
- ❖ हिमाचल प्रदेश की पाम वैली में गेहूं की जल्द और देरी से उगाई गई किस्मों में प्रजनन चरण (पुष्पण के दिन) और परिपक्वता चरण 5 से 15 दिन तक कम हो गए।
- ❖ चावल के प्रजनन चरण में एक से दस दिन की कमी पालमपुर क्षेत्र में देखी गई।
- ❖ हिमालय क्षेत्र में 1° से. से ऊपर तापमान में वृद्धि सेब की पैदावार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रही है।
- ❖ हिमाचल प्रदेश में, निम्न (1100 मी.) और मध्य (1800-2000 मी.) पर वर्षा का उत्थापन नीचे गिर गया है तथा दोषपूर्ण रहा है। उच्चतर श्रृंखलाओं में हिमपात हाज के वर्षों में 10 फुट से (40 वर्ष पूर्व) गिरकर 1-2 फुट हो गया है।
- ❖ उत्थापन पर (1700-2000 मी.) देवदार, केल और खरसू सूख रहे हैं और मर रहे हैं (पीला पड़ना), जबकि उच्च उत्थापन पर (2500 मी.) षिमला क्षेत्र में ओक में कीटों का हमला देखा गया।

- ❖ तापमान में 2–6° से. तक की वृद्धि संकरों तथा भैंसों के विकास, यौवन और परिपक्वता को प्रभावित करती है। यौवन प्राप्त करने के समय में उच्च तापमान में विकास की दरों में कमी के कारण 1–2 सप्ताह का विलंब हुआ।
- ❖ अधिकतम और न्यूनतम तापमानों में 22° से. से अधिक वृद्धि होने के कारण हाल्स्टेन फ्रीसियान संकर गायों में दुग्ध उत्पाद प्रभावित हुआ। तापमान में 2° से. से ऊपर की वृद्धि के साथ मुरा भैंसों में दुग्ध उत्पादन में कमी भी देखी गई। गर्म हवाओं (ढ 4° से.) तथा शीत लहरों (ढ 3° से.) जैसी अत्यंत उग्र घटनाओं ने मवेशियों और भैंसों में प्रथम दुग्धस्रवण में दुग्ध की पैदावार में 10–30 प्रतिशत की तथा द्वितीय और तृतीय दुग्धस्रवण में 5–20 प्रतिशत की कमी की।
- ❖ 485 मिलियन मवेशियों के आन्त्र किण्वन तथा उर्वरक प्रबंधन के कारण कुल मीथेन उत्सर्जन वर्ष 2006 के लिए 9.36 टीजी/वर्ष आकलित किया गया। यह वर्ष 2003 में 9.36 टीजी/वर्ष था।
- ❖ मवेशियों (संकर स्टीयर्स) में मीथेन उत्सर्जन में कमी उनके आहार में परिवर्तन करके प्राप्त की गई जिसमें फेनूग्रीक बीजों (ट्रिगोनेला फोरम) को शामिल किया गया।
- ❖ दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी और पूर्वोत्तर तटों में सतहीय समुद्र तापमान (एसएसटी) के रूझानों ने 0.045° से. प्रति दशक की दर पर उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाई जबकि दक्षिण पूर्वी तट पर 0.095° से. प्रति दशक की वृद्धि दर देखी गई।
- ❖ ऑयल सरडाइन मछली, जिसे 8° उत्तर से 12° उत्तर के दक्षिण पश्चिमी तट पर सीमित रखा गया था, को अन्य तटीय क्षेत्रों तक भी विस्तारित किया गया तथा बढ़ते हुए एसएसटी के साथ विद्यमान अनुकूल पर्यावरण के कारण उन्हें बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक भी विस्तारित किया गया।

- ❖ पंटियम टिकटो, जेनेनटोडन कैंसिला, माइस्टस विट्टारस और ग्लोसोगोबियस गियूरिस, आदि जैसी निम्न खण्डों में रहने वाली मत्स्य प्रजातियों को नदी में 17.5° से. से 25.5° से. तक के औसत तापमान पारिस्थिति की में हुई वृद्धि के कारण हरिद्वार में गंगा नदी के शीत जल रिथोन जोन में अंतरित किया गया।

भारत में अनुकूलन और अंतरण के लिए कतिपय विद्यमान कार्रवाइयां

जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में अनुकूलन में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए किए गए उपाय शामिल होते हैं उदाहरण के लिए समुद्र के बढ़ते हुए स्तर से निपटने के लिए समुद्रतटों के निकट रहने वाले समुदायों का पुनर्स्थापन करना अथवा ऐसी फसलों को अपनाना जो उच्च तापमानों में फल-फूल सकें। न्यूनीकरण में ताप-विद्युत केंद्रों में जीवाष्म ईंधन को जलाने के स्थान पर सौर ऊर्जा अथवा पवन ऊर्जा अथवा आण्विक ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों तक अंतरण करके उन ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना शामिल है, जो प्रारंभिक अवस्था में जलवायु परिवर्तन कारित करती हैं।

जलवायु अस्थिरता के अनुकूलन के लिए भारत में विद्यमान सरकारी व्यय कृषि, जल संसाधनों, स्वास्थ्य और स्वच्छता, वन, तटीय-अंचल अवसंरचना तथा उग्र मौसमीय घटनाओं के चिंता के विषिष्ट क्षेत्रों के साथ जीडीपी के 2.0 प्रतिशत से अधिक हो गया है।

कार्यक्रम

फसल सुधार: यह कार्यक्रम अनेक उपाय करता है जैसे पुश्क-भूमि फसलों का विकास और कीट नियंत्रण तथा बेहतर संवेदनशीलता-न्यूनीकरण प्रक्रियाओं को सहायता देने के लिए विस्तार कर्मियों और एनजीओ की क्षमता का निर्माण।

सूखे का नियंत्रण: विद्यमान कार्यक्रम फसलों और पशुधन के उत्पादन, तथा भूमि, जल और मानव संसाधनों की उत्पादकता पर सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम बनाता है ताकि अंततः प्रभावित क्षेत्रों में सूखे को

नियंत्रित किया जा सके। उनका उद्देश्य समग्र आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना तथा संसाधनविहीन और वंचित लोगों की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाना भी है।

वानिकी: भारत में एक सषक्त और तेजी से विकसित होता वनीकरण कार्यक्रम विद्यमान है। वनीकरण प्रक्रिया को 1980 के वन संरक्षण अधिनियम के अधिनियमन के बाद से तेज किया गया है जिसका उद्देश्य वन भूमि के प्रयोग के लिए अधिकारों के कड़े और केन्द्रीयकृत नियंत्रण के माध्यम से वनों की कटाई और उनके अपक्षय को रोकना है तथा इनमें किसी गैर-वानिकी प्रयोजन के लिए वन भूमि के किसी विपथन के मामले में प्रतिपूर्ति के रूप में वनीकरण करने की अनिवार्य अपेक्षा भी शामिल है। इसके अलावा, एक गहन वनीकरण तथा संपोशणीय वन प्रबंधन कार्यक्रम के परिणामस्वरूप वर्ष 1985-1997 के दौरान 1.78 मि. है. का वार्षिक वनीकरण भी किया गया है तथा वर्तमान में यह प्रतिवर्ष 1.1 मि. है. है। इसके कारण, भारतीय वनों में कार्बन के भण्डार में पिछले 20 वर्षों में अर्थात् 1986 से 2005 के दौरान 9-10 गीगाटन कार्बन (जीटीसी) के वृद्धि हुई है।

जल: राष्ट्रीय जल नीति (2002) इस बात पर बल देती है कि जल के उपयोग के लिए गैर-पारंपरिक पद्धतियों का प्रयोग उपयोगयोग्य जल संसाधनों में वृद्धि करने के लिए किया जाना चाहिए जिनमें शामिल हैं-अंतर्द्वीपी अंतरण, भूमिगत जल का कृत्रिम पुनः आवेदन, खारे और समुद्री जल को लवण-मुक्त बनाना तथा साथ ही पारंपरिक जल संरक्षण प्रक्रियाएं अपना जैसे, वर्षा जल संचयन, जिसमें छत पर वर्षा जल को संचयित करना शामिल है। अनेक राज्यों ने विभिन्न शहरों में अनिवार्य जल संचयन कार्यक्रम आरंभ किए हैं।

तटीय क्षेत्र: तटीय क्षेत्रों में 200 एम से 500 एम के बीच एचटीएल (उच्च लहर पंक्ति) के क्षेत्रों में सीमाएं अधिरोपित की गई हैं जबकि 200 एम से उच्च के क्षेत्र में विशेष सीमाएं लगाई गई हैं ताकि संवेदनशील तटीय पारिस्थिकियों का संरक्षण किया जा सके और उनके दोहन को निवारित किया जा सके। इस

प्रावधान, साथ-ही-साथ तटीय जनसंख्या तथा उनकी आजीविका संबंधी चिंताओं का निवारण भी करता है। इस संबंध में कुछ विषिष्ट उपाय किए गए हैं जिनमें तटीय वनों और कच्छ-वनस्पति के रोपण के साथ-साथ तटीय संरक्षण अवसंरचना और चकवात आश्रयों का निर्माण शामिल है।

जोखिम वित्त-पोशक: दो जोखिम वित्त-पोशण कार्यक्रम जलवायु प्रभावों के अनुकूलन को समर्थित करते हैं। फसल बीमा योजना जलवायु जोखिमों के लिए किसानों को बीमा की सहायता प्रदान करती है तथा ऋण सहायता तंत्र विशेष रूप जलवायु अस्थिरता के कारण फसल खराब होने के मामले में किसानों को ऋण की सुविधा प्रदान करता है।

आपदा प्रबंधन: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम मौसम-संबंधी आपदाओं के पीड़ितों को सहायतानुदान उपलब्ध कराता है तथा आपदा सहायता प्रचालनों का संचालन करता है। यह आपदा प्रबंधन कार्मिकों को सूचना और प्रशिक्षण के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ अतिसक्रिय आपदा निवारण कार्यक्रमों को भी सहायता प्रदान करता है।

भारत की नीतिगत संरचना जीएचजी न्यूनीकरण से प्रासंगिक है

भारत में एक विस्तृत नीतिगत, विनियामक और विधायी संरचना स्थापित की गई है जो विशेष रूप से जीएचजी न्यूनीकरण से संबंधित है। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस प्रकार हैं:

- सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता का संवर्धन
- जन परिवहन पर बल
- जैव-ईंधनों के रोपण सहित नवीकरण पर बल
- स्वच्छ ऊर्जा के लिए आण्विक और जल-विद्युत का संवर्धित विकास
- अनेक स्वच्छ ऊर्जा संबंधी प्रौद्योगिकियों पर संकेन्द्रित अनुसंधान और विकास

अभी तक हासिल किए गए अनुभव ने भारत को जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीसीसी)

के माध्यम

से एक अधिक अतिसक्रिय दृष्टिकोण अपनाने में समर्थ बनाया है। एनएपीसीसी उन उपायों की पहचान

करती है जो

हमारे विकास संबंधी उद्देश्यों को प्रवर्तित करते हैं तथा साथ-ही-साथ जलवायु परिवर्तन का प्रभावी रूप से

निवारण

करने के लिए सह-लाभों को भी प्रदान करते हैं। यह विकास और जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनुकूलन

और

न्यूनीकरण के भारत के उद्देश्यों को भी साथ-साथ आगे बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाता है।

निम्नलिखित आठ

राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रीय कार्यनीति के केंद्र का निर्माण करते हैं तथा ये जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में मुख्य

लक्ष्यों को

प्राप्त करने के लिए बहुआयामी, दीर्घकालिक और एकीकृत कार्यनीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं:

;पद्धराष्ट्रीय सौर मिशन

;पपद्ध राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन

;पपपद्ध राष्ट्रीय संपोशणीय वास मिशन

;पअद्ध राष्ट्रीय जल मिशन

;अद्ध राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थिकी संपोशण मिशन

;अपद्ध राष्ट्रीय शहरित भारत मिशन

;अपपद्ध राष्ट्रीय संपोशणीय कृषि मिशन

;अपपपद्ध राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन

किसानों के लिए कार्रवाई विकल्प

➤ जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता: किसानों को जलवायु अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन, फसल उत्पादन पर इसके प्रभाव तथा फसल विकल्पों के बारे में संवेदनशील बनाए जाने की आवश्यकता है।

➤ **कृषि-मौसम परामर्श:** कृषक समुदाय को कृषि-मौसम परामर्श उपलब्ध कराए जाते हैं। विद्यमान मौसम, मृदा और फसल परिस्थिति और मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए इसके बुलेटिनों को तैयार किया जाता है। नुकसानों को कम करने तथा इनपुटों का इष्टतमीकरण करने (भूमि की तैयारी, फसल और कृषि-जोपजाति का चयन, बुआई की तारीख, कटाई की तारीख, सिंचाई कार्यक्रम, कीटनाशक और उर्वरक अनुप्रयोग, अति-उग्र मौसम परिस्थितियां, आदि) के लिए मौसम के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए उपाय/प्रक्रियाएं/सुझाव दिए जाते हैं। कृषि-परामर्श बुलेटिन में तीन भाग होते हैं ;पद्ध पिछले सप्ताह घटित हुई मौसम-संबंधी घटनाएं तथा अगले पांच दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान। इन पूर्वानुमानों में मौसम मानदण्ड शामिल हैं, जैसे बादलों की मात्रा, वर्षा, हवा की औसत गति, हवा की दिशा, आरएच अधिकतम और न्यूनतम तापमान। ;पपद्ध इसमें कृषि के विकास, चलने वाले कृषीय प्रचालनों, रोगों और कीटों के उत्पन्न होने की स्थिति और अवस्था पर वास्तविक जानकारी शामिल होनी है। ;पपपद्ध यह मौसम के आधार पर आरंभ किए गए विभिन्न कृषि क्रियाकलापों पर मूल्यवर्धित जानकारी भी प्रदान करता है।

कुल मिलाकर 23 राज्य कृषि-मौसम सेवा केंद्र खोले गए हैं। ये मंगलवार और शुक्रवार को राज्य कृषि विभाग के सहयोग से कृषि-मौसम परामर्श तैयार करते हैं। कृषि-मौसम परामर्श आकाषवाणी (एआईआर), प्रिंट मीडिया, दूरदर्शन, वेबसाइट और एसएमएस के माध्यम से दिया जाता है।

➤ **मौसम सूचकांक पर आधारित बीमा उत्पाद:** मौसम बीमा का मुख्य उद्देश्य प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण फसल की पैदावार में आए अंतर के प्रतिषत का अनुमान लगाना है। मौसम बीमा अतिरिक्त व्यय अथवा किसी विषिष्ट खराब मौसम की घटना के कारण लाभ की हुई हानि के प्रति संरक्षण प्रदान करता है।

➤ **आकस्मिकता की योजना:** यह किसी ऐसे अपवादस्वरूप जोखिम के लिए तैयार की गई योजना है जिसे टालना व्यावहारिक नहीं है अथवा असंभव है। कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिशद (आईसीएआर) और राज्य कृषि विष्वविद्यालयों (एसएयू) के सहयोग से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए जिला-केंद्रित आकस्मिकता योजना पर कार्य कर रहा है। इसमें मात्स्यकी भी शामिल है तथा यह योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत मार्च 2010 में आरंभ की गई थी। कुल 600 में से लगभग 300 जिलों के लिए आकस्मिकता योजनाएं तैयार की गई तथा उन्हें विशेषज्ञों द्वारा वैधता प्रदान की गई और उन्हें कृषि और सहकारिता विभाग (डीएसी), आईसीएआर, षुष्क भूमि क्षेत्र अनुसंधान केंद्र (सीआरआईडीए) की वेबसाइटों पर प्रदर्शित किया गया। व्यापक जिला-विषिष्ट दस्तावेज में उन कृषि और पैदावार प्रक्रियाओं पर विवरण शामिल होते हैं जिन्हें मानसून की कम वर्षा अथवा उसमें विलंब, बेमौसम की वर्षा अथवा असामान्य रूप से उच्च तापमान, अत्यधिक वर्षा आदि के मामलों में अपनाया जाता है। किसी अपरिहार्य घटना के मामले में प्रत्येक जिले के पास अपनाए जाने के लिए एक वैज्ञानिक दस्तावेज होता है।

➤ **कृशकों को जलवायु समुत्थानशील प्रौद्योगियों का किसानों को प्रदर्शन विस्तार कार्मिकों द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में किया जाना चाहिए—**

(i) **प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन:** यथारस्थाने आर्द्रता संरक्षण, वर्षा जल संचयन तथा अनुपूरक सिंचाई के लिए पुनःचक्रण, बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में संवर्धित जल-निकासी, संरक्षित जोत, भूमिगत जल पुनः आवेषण और जल बचत सिंचाई पद्धतियों आदि पर हस्तक्षेप।

(ii) **फसल उत्पादन:** सूखा/तापमान सह्य किस्मों को प्रयोग में लाना, सीमांत उश्णता दबाव वाले क्षेत्रों में रबी की फसलों के रोपण की तारीख को आगे बढ़ाना, जल बचत धान रोपण पद्धतियां (एसआरआई, वातायित, प्रत्यक्ष बीजण), धूमन के माध्यम से बागवानी में ओला नियंत्रण, विलंबित मानसून के लिए समुदाय नर्सरियां, समय पर रोपण के लिए फार्म मशीनों हेतु उपभोक्ता किराया-सुविधा केंद्र, उच्च संपोशणीय पैदावार सूचकांक के साथ स्थान-विषिष्ट अंतरफसल प्रणालियां, आदि।

(iii) **पशुधन और मात्स्यकी:** सूखे/बाढ़ के दौरान चारा उत्पादन का संवर्धन, सामान्य संपत्ति संसाधन (सीपीआर) की उत्पादकता में सुधार, संवर्धित चारा/आहार भण्डारण पद्धतियों का प्रवर्तन, निवारणात्मक टीकाकरण, उश्मा/षीत दबाव कम करने के लिए संवर्धित आश्रय, जल की कमी और अधिक जल, आदि के दौरान मत्स्य तालाबों/टैंकों का प्रबंधन।

(iv) **संस्थागत हस्तक्षेप:** बीज बैंक, चारा बैंक, कस्टम हायरिंग केंद्र, सामूहिक विपणन से संबंधित संस्थागत हस्तक्षेप, चाहे वे विद्यमान को सुदृढ़ बनाकर अथवा नए को प्रारंभ करके किए गए हों, तथा मौसम सूचकांक आधारित बीमा की पुरुआत और एक ग्राम स्तर के मौसम केंद्र के माध्यम से मौसम संबंधी जानकारी।

➤ **विस्तार प्रणाली** को आजीविका विकल्पों का विविधीकरण करने, ऐसे परिवर्तन को समायोजित करने जो किसी विशेष स्थान में घटित हो रहा हो, के लिए उपयुक्त फसल पैटर्नों को बदलने, अधिक सूखा-सहिष्णु फसलें उगाने, गैर-कृशीय क्रियाकलापों तथा कृशि-वानिकी प्रक्रियाओं के संवर्धित भाग को प्रवर्तित करने, पारंपरिक फसल रणनीतियों, संवर्धित ऑन-फार्म मृदा एवं जल संरक्षण की पहचान करने, मिश्रित फसल पैटर्न को प्रवर्तित करने तथा मौसम से संबंधित विभिन्न सूचनाओं की पहुंच के लिए प्रावधान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और जलवायु

परिवर्तनों पर अन्य परामर्ष जलवायु परिवर्तन से संबंधित किसानों के जोखिम और उनकी निष्चितता को न्यूनतम करेंगे।

निश्कर्ष:

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के कारण समूचे विश्व में बाढ़ और सूखा आने, गर्म और ठंडी लहरें चलने की घटनाएं अत्यंत आम हो गई हैं। किसानों की आजीविका पर उनके प्रतिकूल प्रभाव अत्यधिक उग्र होते हैं। ऐसी घटनाएं हमारे देश में अधिक घटित होती हैं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर अधिक निर्भर है। आश्चर्य की बात यह है कि विपरीत प्रकृति की मौसम संबंधी उग्र घटनाएं जैसे ठंडी और गर्म लहरें, बाढ़ और सूखा, एक ही क्षेत्र में अथवा विभिन्न क्षेत्रों में एक ही वर्ष के भीतर देखी जाती हैं तथा इनकी संख्या में आने वाले वर्षों में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। मानव और फसलों की हानि के और भी गंभीर होने का अनुमान है। मौसम में होने वाले समग्र परिवर्तन बढ़ती हुई ग्रीनहाउस गैसों तथा मानव द्वारा उत्प्रेरित वायुविलयों के साथ सहयोजित हैं तथा उनके बीच विद्यमान असंतुलों के कारण भारत में मानसून के वर्ष-दर-वर्ष व्यवहार में भी अनिष्चितता उत्पन्न होती है। अतः विकसित एवं विकासशील देशों की ओर से पर्यावरण में जाने वाली ग्रीनहाउस गैसों को कम करते हुए औद्योगिकीकरण को पर्यावरण-हितैशी बनाने के लिए दृढ़-संकल्प प्रयास किए जाने चाहिए। इसी प्रकार, जलवायु परिवर्तन तथा विभिन्न क्षेत्रों पर इसके प्रभावों अर्थात् कृषि, स्वास्थ्य, अवसंरचना, जल, वानिकी, मात्स्यिकी, भूमि और समुद्र जैव-विविधता और समुद्र-तल, तथा जलवायु परिवर्तन में मानवीय हस्तक्षेपों द्वारा निर्वाह की जा रही भूमिका पर जागरूकता कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया में, लोगों की जीवन-शैली में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि वह वायुमण्डल में ग्रीनहाउस गैसों तथा सीएफसी को उत्सर्जित करके पृथ्वी के पर्यावरण के सांतत्यक को क्षतिग्रस्त न कर सकें। कृषि के दृष्टिकोण से, फसलों पर अत्यंत उग्र जलवायु संबंधी घटनाओं के प्रभावों को प्रलेखित किया जाना चाहिए ताकि योजना निर्माताओं के लिए इन घटनाओं की पुनरावृत्ति के मामले में इनके कुप्रभावों को न्यूनतम बनाने में सहायता मिल सके। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन के अनुमानित प्रभावों के विशय में

किसानों का मार्गदर्शन करने तथा उन्हें कृषि क्षेत्र में जोखिम को कम करने के लिए न्यूनीकरण और अनुकूलन विकल्पों के बारे में जानकारी प्रदान करने की भी आवश्यकता है।

संदर्भ

एषियाई विकास बैंक, 2009, एषिया और पौसिफिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन पर संबोधित करते हुए टिप्पणी (1) सम्प्रेषण, 2008, आपदाप न्यूनीकरण हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्य-नीति, जिनेवा, सितम्बर, 2008 अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, 2009। जलवायु परिवर्तन: कृषि और अंगीकरण की लागत पर प्रभाव, 2009 जमील अहमद, दस्तगीर आलम और सुश्री षौकत हसीन. 2011.

भारत में कृषि और खाद्य सुरक्षा पर जलवायु का प्रभाव इंटर. जू ऑफ एग्रील., एनवी और बॉयीटेक, खंड 4, संख्या: 2 जून, 2011 129-137.

सिंह एच.एस. भारत में मानग्रोवस पर जलवायु परिवर्तन का सक्षम प्रभाव (0894-बी2)

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्रवाई योजना पर दस्तावेज, भारत

आईपीसीसी(जलवायु परिवर्तन पर अंतः सरकारी पैनल) 2007. जलवायु परिवर्तन: भौतिक विज्ञान आधार. आई वी मूल्यांकन रिपोर्ट, पर्यावरण सर्वेक्षण 2007, द हिंदु, पृष्ठ 147-155.

प्रसाद, आर और राणा, आर. 2006. मार्च 2004 में अधिकतम तापमान पर एक अध्ययन और हिमाचल प्रदेश में रबि फसलों पर इसका प्रभाव. कृषि वायुमंडलीय जर्नल, 8(1): 91-99

प्रसाद राव, जी.एस.एल.एच.वी. और एलेक्जेंडर, डी. 2007. ट्रोपिकल देशों में कृषि क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव. कॉलेज ऑफ फिषरिज, पाननगाद, कोची में 14 दिसंबर, 2007 को आयोजित डब्ल्यूटीओ कार्यशाला की कार्यवाहियां, केरल कृषि विश्वविद्यालय, 80 पृष्ठ

प्रसाद राव, जी.एस.एल.एच.वी और एलेक्जेंडर, डी, 2008. ट्रोपीकल देशों में कृषि क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव—, सिफारिषें, कॉलेज ऑफ फिषरीज, पाननगाद, कोची में 14 दिसंबर, 2008 को आयोजित डब्ल्यूटीओ की कार्यवाहियां, पृष्ठ 26

रामकृष्ण, वाई.एस., राव, जी.जी.एस.एन., राव, एस.जी. और विनयकुमार, पी. 2006. कृषि में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, आईएन: पर्यावरण और कृषि (इडीएस. चड्डा, के.एल. और स्वामीनाथन, एस.एस.) मल्होत्रा पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृष्ठ. 1–30.

समरा, जे.एस., सिंह, जी और रामकृष्णा, वाई.एस. 2004. उत्तर भारत में 2002–2003 में शीत लहर और फसलों पर इसका प्रभाव. द हिंदु, दिनांक 10 जनवरी, 2004. पृष्ठ 6.

षुक्ला, पी.आर., शर्मा, एस.के. और रमन्ना, वी.पी. 2002. जलवायु परिवर्तन और भारत—मुद्दे, चिंताएं और अवसर, टाटा—मैकग्रा—हिल पब्लिशिंग कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली, पृष्ठ 314.

प्रसाद राव, जी.एस.एल.एच.वी. भारतीय खाद्य अनाज उत्पादन पर अतिषय मौसम का प्रभाव

मिश्रा, एच.पी. जलवायु परिवर्तन परिप्रेक्ष्य में फसल कीट परिदृश्य में परिवर्तन, प्रोफेसर, एंटोमोलोजी विभाग, कृषि महाविद्यालय, ओ.यू.ए.टी., भुवनेश्वर

पूबतपकण्पद

संलग्नक

कृषि आकस्मिकता योजना:

100 मौसम संबंधी आकस्मिकताओं के लिए कार्य-नीति

101 सूखा

10101 वर्षा सिंचित स्थिति

मौसम पूर्व सूखा (विलंबित धावा)	प्रमुख खेती स्थिति	फसल/फसल पद्धति	सुझावित आकस्मिक उपाय		
			फसल/फसल पद्धति में परिवर्तन	कृषि विज्ञान उपाय	कार्यान्वयन पर टिप्पणियां
2 सप्ताह की देरी (माहनिर्दिष्ट करें)					
4 सप्ताह की देरी					
6 सप्ताह की देरी					
8 सप्ताह की देरी					

स्थिति			सुझावित आकस्मिक उपाय			
			प्रमुख खेती स्थिति	सामान्य फसल / फसल प्रणाली	फसल प्रबंधन	मृदा पोषण व आद्रता संरक्षण उपाय
मौसम पूर्व सूखा (सामान्य धावा)						
सामान्य धावे सहित बुवाई के 15-20 दिन बाद सूखा, स्थिति जिससे अंकुरण / फसल स्टैंड आदि होता है						
मौसम मध्य सूखा (लंबी अवधि सूखा, 2 सप्ताह तक वर्षा रहित (झ2.5 मि.मी.अवधि)						
मौसम मध्य सूखा (लंबी अवधि सूखा) पुष्प / फल अवस्था						
टर्मिनल सूखा (मानसून का पहले ही चला जाना)						

17172 सूखा-सिंचाई स्थिति

स्थिति	सुझावित आकस्मिक उपाय				
	प्रमुख खेती स्थिति	सामान्य फसल/ फसल पद्धति	फसल/ फसल पद्धति में परिवर्तन	कृषि-विज्ञान उपाय	कार्यान्वयन पर टिप्पणियां
निम्न वर्षा के कारण नहरों में जल विलंब से छोड़ना					
निम्न वर्षा के कारण नहरों में जल सीमित मात्रा में छोड़ना					
जलग्रहण में मानसून के विलंबित धावे के अन्तर्गत नहरों में जल न छोड़ना					
निम्न वर्षा के कारण भूमिगत जल का अपर्याप्त पुनर्भरण					

102 असामान्य वर्षा (बे-समय, बे-मौसम आदि) (वर्षा सिंचित और सिंचित दोनों, स्थितियां)

छोटी अवधि में निरंतर उच्च वर्षा के कारण जल-ग्रसन	सुझावित आकस्मिक उपाय			
	उगाव अवस्था	पुष्पण अवस्था	फसल परिपक्वता अवस्था	कटाई पश्चात
फसल 1 (धान) (फसल विषिष्ट)				
बागवानी				
फसल 1 (आम) (फसल विषिष्ट)				
छोटी अवधि ² में प्रचंड पवन सहित भारी वर्षा				
फसल 1 (धान) (फसल विषिष्ट)				
बागवानी				
फसल 1(आम) (फसल विषिष्ट)				
बे-मौसम वर्षा के कारण कीटों और रोगों का प्रकोप				
फसल 1				
बागवानी				
फसल 1(आम)				

173 बाढ़

स्थिति	सुझावित आकस्मिक उपाय				
	अस्थायी जल-ग्रसन / आंषिक जलप्लावन	अंकुरण / नर्सरी अवस्था	उगाव अवस्था	पुनर्उत्पादकता अवस्था	कटाई पर
फसल 1(धान)					
बागवानी					
फसल 1(आम)					
2 दिन से अधिक निरंतर जलमग्नावस्था					
फसल 1(धान)					
बागवानी					
फसल 1(आम)					
समुद्र जल दखल					
फसल 1					

174 अतिषय घटनाएं: गर्म हवाएं / शीत हवाएं / पाला / ओला-वृष्टि / चक्रवात

अतिषय घटना का प्रकार	सुझावित आकस्मिक उपाय			
	अंकुरण / नर्सरी अवस्था	उगाव अवस्था	पुनर्उत्पादकता अवस्था	कटाई पर
गर्म हवाएं				
फसल 1(धान)				
बागवानी				
फसल 1(आम)				
शीत हवाएं				
फसल 1(धान)				
बागवानी				

फसल 1(आम)				
पाला				
फसल 1(धान)				
बागवानी				
फसल 1(आम)				
ओला-वृष्टि				
फसल 1(धान)				
फसल 1(आम)				
चक्रवात				
फसल 1(धान)				
बागवानी				
फसल 1(आम)				